आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3
23/3/17	**आदेश** अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रथम अपील में दिनांक–17.02.2017 को पारित आदेश के विरूद्व परिवादी नवल किशोर यादव, पिता–वकील यादव, ग्राम–वारसावाद, पोस्ट–वारसावाद, थाना+अंचल–शंभुगंज, जिला–बांका के द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है जिसका अनन्य संख्या–523110106121600844/2A वर्ष–2017 नवल किशोर यादव बनाम् अंचल अधिकारी, शंभुगंज है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, शंभुगंज के पत्रांक–236 दिनांक–21.03.2017 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। अपील आवेदन के आलोक में परिवादी की सुनवाई निर्धारित तिथि पर की गयी। परिवाद यह है कि 2.51 डी0 जमीन पर तीन पीढ़ी से दखलकार है एवं पूर्ण स्वामित्व का अधिकार है। प्रोन्नत मध्य विद्यालय एवं अंचल अधिकारी के षडयंत्र के कारण उनके जमीन पर चाहरदीवारी बना दिया गया है। सही मापी कराने का अनुरोध किया गया है। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा प्रश्नाधीन मामले में पूर्व में दायर द्वितीय अपील सं0– 523110123061600141/2A वर्ष– 2016 में दिनांक– 12.11.2016 को पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत किया गया। अंचलाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि– **".....वाद ग्रस्त भुखंड पोखर के रूप में गैरमजरूआ खाते की जमीन है जो मौजा–वारसावाद, थाना नं0– 203, खाता सं0– 187, खेसरा– 501, रकवा– 2.51 डी0 से संबंधित है। प्रोन्नत मध्य विद्यालय, वारसावाद दान–पत्र से प्राप्त भुखंड पर निर्मित है। आवेदित खाता/खेसरा की जमीन पोखर है जिसपर आवेदक कभी दखलकार नहीं रहे है। इस पोखर का सार्वजनिक उपयोग खेतों के सिचाई के रूप होता है। आवेदक द्वारा जमांबदी सं0– 101 लगान रसीद प्रस्तुत किया जाता है। जमाबंदी पंजी में इस जमाबंदी पर प्रयाग मरड़ पे0–पौचु मरड़ का नाम नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद संदेहास्पद है। अभियान जल निकाय सरंक्षण के तहत् इनके दावे स्वीकार योग्य नहीं है।"** उपरोक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि प्रश्नाधीन मामले में इस प्राधिकार द्वारा दिनांक– 12.11.2016 को विचारोपरांत आदेश पारित किया जा चुका है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि वर्णित खाता/खेसरा की भूमि गैरमजरूआ आम भूमि है जो किस्म पोखर है। अपीलार्थी का लगान रसीद संदेहास्पद है। दावा सहीं नहीं है। फलस्वरूप अपील आवेदन विचार योग्य नहीं है। अतः दिनांक– 12.11.2016 को पूर्व में लिये गये विनिश्चय के आलोक में प्रस्तुत अपील अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित 23.3.17 जिला पदाधिकारी, बांका 23.3.17 जिला पदाधिकारी –सह– द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, जिला लोक शिकायत निवारण, बांका।	